न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :—यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवानः— विविध प्रार्थना पत्र संख्या 13/2018

स्टेट ऑफ राजस्थान तहसीलदार (राजस्व) श्री गंगानगर (राज.) ....प्रार्थी

बनाम

1. प्रगटसिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख सा. 1 बी.बी तहसील व जिला श्री गंगानगर
2. गुरप्रतापसिंह पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख सा. 1बी.बी तहसील व जिला श्री गंगानगर
3. निर्मलसिंह पुत्र कपूरसिंह जाति जटसिख सा.1 बी.बी तहसील व जिला श्री गंगानगर
4. गुरजन्टसिंह पुत्र तेजासिंह जाति जटसिख सा.1 बी.बी तहसील व जिला श्री गंगानगर
5. केवलसिंह पुत्र तेजासिंह जाति जटसिख सा. 1 बी.बी तहसील व जिला श्री गंगानगर
6. गुरप्रतापसिंह पुत्र गुरजन्टसिंह जाति जटसिख सा. 1 बी.बी तहसील व जिला श्री गंगानगर

.....प्रतिवादी

उपस्थितः— पैरोकार राज

01 जून 2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 के समक्ष प्रस्तुत हुई तहसीलदार (राजस्व) श्री गंगानगर का यह प्रार्थना प्रत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व आधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कि गयी है।

अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं किः—

रेस्पोडेन्टस के नाम चक 11 एम एल पटवार मण्डल लट्ठावाली तहसील व जिला श्री गंगानगर के खाता स.57 के मु.न. 35 में 3.162 है.नहरी भूमि — प्रगटसिंह गुरप्रतापसिंह पुत्र जरनैलसिंह 2.175 है. निर्मलसिंह पुत्र कपूरसिंह .885 है.गुरजन्टसिंह केवलसिंह पि.तेजासिंह ब.हि.ब .025 है.गुरप्रतापसिंह पुत्र गुरजन्टसिंह 0.025 है.कौम जटसिख सा. 1 बी.बी. वर्तमान जमाबन्दी में खातेदार दर्ज है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का लट्ठावाली व तहसीलदार भू.अ. श्रीगंगानगर के क्रंमाक 6713 दिंनाक 30.08.2017 के आधार पर चक 11 एम एल जमाबन्दी सम्वत् 2056 खाता स. 27 में जरनैलसिंह वल्द बनतासिह 1.201 है.बन्तासिंह पुत्र प्रेमसिंह 1.075 है भूमि मे से ई.न. 172 दिंनाक 20.10.2000 द्वारा गुरनामसिंह लक्ष्मणसिंह पि. चानणसिंह व गुरजन्टसिंह केवलसिंह पि.तेजासिंह ब.हि.ब 0.051 है. बैचान किया गया। जिसमें सेहवन से बन्तासिंह पुत्र प्रेमसिंह का हिस्सा 1.000 है. शेष दर्ज हुआ जबकि 1.050 है. होना चाहिए था । खातेदार जरनैलसिंह पुत्र बन्तासिंह व बन्तासिंह पुत्र प्रेमसिंह की मृत्यु उपरान्त उक्त हिस्सा प्रगटसिंह गुरप्रतापसिंह पि. जरनैलसिंह को विरास्त मे प्राप्त हुआ। बरवक्त नामान्तकरण कास्कार के हिस्सा का मिलान नही किया गया । इस कारण 0.050 है. का अन्तर आ गया जो आज दिंनाक तक चल रहा है।

अपील पेश होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्टस जरिये नोटिस तलब किया गया । नोटिस बाद तामिल पत्रावली में शामिल किये गये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 को "राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018" केम्प 18 जी.जी. में उपस्थित आने हेतु पटवारी हल्का द्वारा पाबन्द कर किया गया था रेस्पोडेन्टस राजस्व लोक अदालत में उपस्थित आए।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

विविधः प्र०स० 13/18

मजमें आम में पुछताछ से व संरपच ग्रांम पचांयत 18 जी.जी. से पुछताछ की गई । चुँकि प्रकरण में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 6 मध्य किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों के दोहराते हुए प्रार्थना पत्र का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया ।

अतः रेस्पोडेन्टस आपसी सहमति के आधार व पटवारी हल्का लट्ठावाली की रिपोर्ट के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जा कर चक 11 एम एल पटवार मण्डल लड्डावाली तहसील व जिला श्री गंगानगर के खाता स.57 के मु.न. 35 में 3.162 है.नहरी भूमि – में प्रगटसिंह गुरप्रतापसिंह पुत्र जरनैलसिंह 2.175 है.कि जगह प्रगटसिंह गुरप्रतापसिंह पुत्र जरनैलसिंह 2.225 है. दुरुस्त करवाने का अधिकारी है।

–::आदेश::–

फलस्वरुप अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है राजस्व लोक अदालत में मजमें आम से पुछताछ के आधार पर चक चक 11 एम एल पटवार मण्डल लड्डावाली तहसील व जिला श्री गंगानगर के खाता स.57 के मु.न. 35 में 3.162 है.नहरी भूमि – में प्रगटसिंह गुरप्रतापसिंह पुत्र जरनैलसिंह 2.175 है.कि जगह प्रगटसिंह गुरप्रतापसिंह पुत्र जरनैलसिंह 2.225 है. राहिन– बदस्तूर दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे ।

आदेश आज दिंनाक 1 जून 2018 "राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018" कैम्प 18 जी. जी. में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहुजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर
कैम्प 18 जी.जी.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)